सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

11 JUL 2016
2885

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची
आवास : एफ-टाईप, पी॰डब्लु॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, रांची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक अ॰का॰ 95/16

दिनांक 08-07-2016

प्रधान सचिव

विगत 10 जून 2016 को माननीया राज्यपाल महोदया के बुलावे पर उनसे मिलने राजभवन गया था. मेरे अतिरिक्त माननीया मंत्री श्रीमती लुईस मराण्डी को भी राजभवन से बुलाया गया था. मेरे साथ वे भी वहां उपस्थित थीं. माननीया राज्यपाल महोदया ने वार्ता के दौरान दो बिन्दुओं पर हमलोगों का ध्यान आकृष्ट किया जो निम्नवत है:–

1. राज्य मंत्रिपरिषद में एक स्थान का रिक्त रहना.

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार झारखण्ड राज्य में जनजातीय मामलों के लिए अलग मंत्रालय का गठन होना.

उपर्युक्त बिन्दुओं के संदर्भ में 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 164 का प्रासंगिक प्रावधान निम्नवत है:–

164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध–(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे:

''परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों मे जनजातियो के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियो और पिछड़ो वर्गो के कल्याण का या किसी अन्य: कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा.''

(1–क) राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु राज्य में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी:

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाइट -- www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु यह और कि जहां संविधान (91वां संशोधन) के नियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की कुल संख्या उक्त 15 प्रतिशत या प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट संख्या, यथास्थिति से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जैसा कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना जारी नियत करे, 6 मास के भीतर इस खण्ड के प्रावधानों के अनुरूप लाई जाएगी.

उपर्युक्त के संदर्भ में माननीया राज्यपाल महोदया ने मत व्यक्त किया कि झारखण्ड राज्य मंत्रिपरिषद में संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए. हमलोगों ने उनसे निवदेन किया कि मंत्रिपरिषद का गठन माननीय मुख्यमंत्री के विवेकाधीन होता है. अतएव इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री अपने विवेक से उचित निर्णय ले सकते हैं.

इसी प्रकार माननीया राज्यपाल महोदया का मत है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार झारखण्ड में अनुसूचित जनजाति कल्याण मामले का एक अलग मंत्री होना चाहिए, जो कि नहीं है.

माननीया राज्यपाल महोदया से इस बारे में हुई वार्ता से आपको अवगत कराते हुये अनुरोध है कि इस पर गौर किया जा सकता है।

भवदीय

8.7.16

सरयू राय,

सेवा में,

श्री रघुवर दास,

माननीय मुख्यमंत्री,

झारखण्ड सरकार,

राँची।

Scanned with OKEN Scanner